

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

शंकरलाल बनाम रूपराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या २७ /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
14.02.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या-01, रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 305/250 के खसरा नं० 188 की 6.7410 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 24/03/2023 को पेश हो ।</p> <p> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)</p> <p>29/3/23 शंकरलाल बनाम रूपराम आदि, 212 आर.टी. एक्ट की अन्तर्गत प्रकरण पर अन्तर्गत जरिये वकील प्रार्थी द्वारा पेश की गई पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/3/23 को पेश की गई।</p> <p>15/4/23 पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/3/23 को पेश की गई।</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
16/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमती ओ. राहम पत्रावली दि. 1/6/23 को पेश हो गई</p> <p>पत्रावली प्रशासन जांचो के सं- अध्याय वर्ष 2023 के. नमाली से पेश हुई 17/8/23 को पेश हो गई पत्रावली दिनांक 17/8/23 को पेश हो गई</p>	
17/8/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमती पी.ओ. राहम पत्रावली दि. 15/9/23 को पेश हो गई</p>	
15/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमती पी.ओ. राहम पत्रावली दि. 14/12/23 को पेश हो गई</p>	
14/12/23	<p>वक्तव्य करिकेन अफ। शुरु वाड का निष्कारण से मुकाबले अर्थात् प्रार्थना पत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र उली (सर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्तविक धर हो।</p> <p style="text-align: right;">अपेक्षित अधिकारी नोहर</p>	